प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 639/1993

याचिकाकर्ता मदनलाल टंडन

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवम् अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ- माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता की ओर से: श्रीमती स्मिता घई, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र 01 श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता,

की ओर से: श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता के साथ

निर्णय (मौखिक)

(दिनांक 30/03/2010 को पारित)

1. इस याचिका में दिनांक 01.10.1991 (अनुलग्नक पी/26) के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से निष्कासन कर दिया गया था और दिनांक 26.11.1992 (अनुलग्नक पी/28) और 10.12.1992 (अनुलग्नक पी/29) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01.10.1991 (अनुलग्नक पी/26) के निष्कासन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1981 में सीधी भर्ती द्वारा उत्तरवादी-बैंक में फील्ड सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को कदाचार करने के लिए दिनांक 6.2.1984 को एक अभियोग पत्र (अनुलग्नक पी/2) जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 18.02.1984 को प्रस्तुत किया गया जो अनुलग्नक पी/3 हैं। याचिकाकर्ता को दिनांक 25.04.1984 को एक संचार प्राप्त हुआ जो अनुलग्नक पी/4 है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसके विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू की जानी है। जाँच के पश्चात्, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5.7.1984 को एक आदेश (अनुलग्नक पी/8) पारित किया गया जिसके तहत याचिकाकर्ता को दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया। उक्त आदेश को इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। इसके पश्चात्, दिनांक 14.11.1987 को दूसरा अभियोग पत्र (अनुलग्नक पी/16) जारी किया गया, जिसमें विभिन्न कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण वितरण में कई वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया और जाँच करने के बाद, जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी ठहराते हुए अपना अभिलेख प्रस्तुत किया। 17 आरोपों में से तीन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए, दिनांक 01.10.1991 को सेवा से स्थगित करने का आक्षेपित दंडात्मक आदेश पारित किया गया जो अनुलग्नक पी/26 है। याचिकाकर्ता ने उक्त निष्कासन आदेश के विरुद्ध एक वैधानिक अपील प्रस्तुत किया, जिसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26.11.1992 के संकल्प (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से भी आपस्त कर दिया गया और आदेश पत्र दिनांक 10.12.1992 (अनुलग्नक पी/29) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती स्मिता घई ने तर्क प्रस्तुत किया कि पहला अभियोग पत्र दिनांक 06.02.1984 (अनुलग्नक पी/2) और दूसरा अभियोग पत्र दिनांक 14.11.1987 (अनुलग्नक पी/16) एक समान हैं और इस प्रकार, दूसरा अभियोग पत्र अवैध था और उसे जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि पहले जारी किए गए अभियोग पत्र के परिणामस्वरूप दो वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। श्रीमती घई ने आगे तर्क

प्रस्तुत किया कि दूसरे अभियोग पत्र में उन दस्तावेजों की कोई सूची संलग्न नहीं है जिन पर अभियोग पत्र जारी करने के बाद जांच शुरू करने के लिए अवलोकन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसमें उन साक्षियों की कोई सूची भी नहीं है जिनके आधार पर उक्त अभियोग पत्र जारी किया गया था। इस प्रकार, जांच दोषपूर्ण है। श्रीमती घई ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि संबंधित अधिकारियों को प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेजों तक पहुँच से वंचित कर दिया गया, जैसा कि दिनांक 31.12.1987 के पत्र (अनुलग्नक पी/18) से स्पष्ट है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह रुख अपनाया है कि अभियोग पत्र की जाँच के लिए अभियोग पत्र से संबंधित दस्तावेज़ अनुचित और अनियमित हैं और याचिकाकर्ता बैंक के पास उपलब्ध अन्य सभी दस्तावेज़ों का निरीक्षण कर सकता था। श्रीमती घई ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और इस प्रकार, याचिकाकर्ता जाँच कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस का प्रभावी और उचित उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। केवल निरीक्षण की अनुमति दी गई थी जो बचाव की तैयारी और जाँच अधिकारी के समक्ष अपना प्रकरण ठीक से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह पता चले कि अभियोग पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई थी। यद्यपि, जाँच के दौरान, सभी दस्तावेज याचिकाकर्ता को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए थे और याचिकाकर्ता को अपना बचाव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्वयं दिनांक 02.09.1989 (जवाब के पृष्ठ 79) को जाँच छोड़ दी थी, अतः याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में जाँच जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोग पत्र के अवलोकन के बाद, याचिकाकर्ता का यह तर्क प्रस्तुत किया कि पहला अभियोग पत्र और दूसरा अभियोग पत्र एक जैसे हैं, जो निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि पहले अभियोग पत्र की विषय-वस्तु पूरी तरह से भिन्न है। दिनांक 14.11.1987 के बाद के अभियोग पत्र में विस्तृत और विशिष्ट आरोप शामिल हैं। दिनांक 6.2.1984 के पहले अभियोग पत्र (अनुलग्नक पी/2) में निम्नलिखित लिखा है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"1. दिनांक 30/10/83 को आपने 12:30 बजे तक बैंक बंद रखते हुए बैंक के सेवा में अपनी उपस्थिति देने क घोर उपेक्षा की है।

2. आपने बिना किसी पूर्व निरीक्षण के ही ऋण वितरण का कार्य किया है जो बैंक के नियमों की अवहेलना का श्रेणी में आता है तथा बैंक के हितों के विरुद्ध है।

3. आपने ऋणी श्री सखाराम को स्वीकृत पम्प का ऑर्डर जिला विपरण अधिकारी को न देते हुए सीधे प्राइवेट डीलर को दिया है जो बैंक के नियमों के उल्लंघन कि श्रेणी में आता है।

4. आपकी कस्टडी में रखे गए पोस्टेज बैलन्स में दस पैसे अधिक पाए गए।

5. दिनांक 29/10/83 का केश बैलन्स जब दिनांक 30/10/83 को जांच किया गया तब उसमे सौ रुपये की राशि अधिक पाई गई।

6. आपने शाखा के केशियर कम क्लर्क श्री एच. के. मुखर्जी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी। ”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पहले अभियोग पत्र में, याचिकाकर्ता पर व्यावसायिक लेन-देन में अनियमितताएँ करने का आरोप लगाया गया था। यद्यपि, वह भी विशिष्ट नहीं था और शेष आरोप बैंक खोलने, अनधिकृत छुट्टी देने और नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित थे। इस प्रकार, दूसरा अभियोग पत्र जारी किया

जा सकता था क्योंकि अभियोग पत्र में विस्तृत आधार और उन ग्राहकों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं जिन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऋण दिया गया था। यह सच है कि अभियोग पत्र और आरोपों के साथ दस्तावेजों की कोई सूची नहीं थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अभियोग पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपना प्रकरण रखने का अवसर नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 21.03.1988 की जाँच कार्यवाही (अनुलग्नक आर/2) के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की सूची बैंक के प्रतिनिधि द्वारा दोषी कर्मचारी को प्रदान की गई थी और उसके बाद, दोषी कर्मचारी को अपना बचाव तैयार करने और अपना प्रकरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 21.04.1988 को प्रकरण की सुनवाई की गई। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.08.1989 की कार्यवाही के अवलोकन से, जिसमें उत्तरवादी-बैंक के अनुसार, दोषी कर्मचारी ने कार्यवाही छोड़ दी है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है

क्योंकि दोषी कर्मचारी ने पहले के अभियोग पत्र पर तर्क दिया है, लेकिन दूसरे अभियोग पत्र के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है और उसके बाद, दिनांक 02.08.1989 से, ऐसा प्रतीत होता है कि दोषी कर्मचारी अनुपस्थित रहा। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि दोषी कर्मचारी को जांच के दौरान दस्तावेजों की एक सूची दी गई थी और उसे अपना प्रकरण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, तीनों ऋण वरिष्ठ अधिकारियों से उचित मंजूरी के बाद दिए गए थे, जाँच अधिकारी ने ऋण बहीखाता, वितरण आदेश, ऋण वितरण के संबंध में निर्देश जैसे कई दस्तावेजों पर अवलोकन किया और दोषी कर्मचारी की आपत्ति पर विचार किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। इस प्रकार, दोषी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे गए दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया। जाँच अधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में यह अवलोकन किया है कि आरोप क्र. 1 उन दस्तावेजों पर सिद्ध पाया गया जो दोषी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारी को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी प्रकार, अन्य आरोप जैसे आरोप क्र. 2 भी कई दस्तावेजों जैसे दस्तावेज क्र. पी/21, पी/25, पी/23, पी/19 और पी/30 पर अवलोकन करते हुए सिद्ध पाए गए हैं। आरोप क्र. 3 भी सिद्ध पाया गया। आरोप क्र. 4 भी सिद्ध पाया गया जिसमें यह कहा गया था कि दोषी कर्मचारी ने अपना बचाव प्रस्तुत नहीं किया है। आरोप क्र. 5 भी कई आवेदनों, जैसे कि पी/30, पी/31 और पी/32, के आधार पर दोषी कर्मचारी के प्रस्तुतीकरण पर विचार किए बिना सिद्ध किया गया। बैंक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत कई दस्तावेजों पर विचार किया गया, लेकिन दोषी कर्मचारी द्वारा कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उसने न तो दस्तावेजों की सामग्री से इनकार किया है और न ही इसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आरोप क्र. 6 सिद्ध पाया गया और आरोप क्र. 7 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। आरोप क्र. 12, 14 और 17 सिद्ध नहीं पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के प्रकरण पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार किए बिना ही जांच शुरू कर दी और समाप्त कर दी, जिसमें उसने अपना बचाव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, ऐसा भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को यह मानने से पहले कि आरोप क्र. 12, 14 और 7 को छोड़कर सभी आरोप सिद्ध पाए गए, जांच अधिकारी द्वारा अवलोकन किए गए दस्तावेजों की जांच या निरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं मिला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोग पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए जिनके आधार पर आरोप तय किए गए। याचिकाकर्ता को दस्तावेजों के अभाव में आरोपों का सामना करने का कोई अवसर नहीं मिला। विभागीय कार्यवाही के दौरान कुछ दस्तावेज़ दिए गए, लेकिन जिन प्रासंगिक दस्तावेज़ों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए, वे याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार, जाँच दोषपूर्ण है।

9. काशीनाथ दीक्षित विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"10... जब कोई सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा हो, तो उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों का प्रभावी ढंग से सामना करने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और विभागीय जाँच का सामना कर रहा कोई भी व्यक्ति तब तक आरोपों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता जब तक कि उसके विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले प्रासंगिक साक्ष्य और दस्तावेजों की प्रतियाँ उसे उपलब्ध न करा दी जाएँ। ऐसी प्रतियों के अभाव में, संबंधित कर्मचारी अपना बचाव कैसे तैयार कर सकता है, साक्षियों से प्रति परीक्षण कैसे कर सकता है, और विसंगतियों को कैसे इंगित कर सकता है ताकि यह दिखाया जा सके कि आरोप अविश्वसनीय हैं?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. *चंद्रमणि तिवारी विरुद्ध भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"4....संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी शासकीय कर्मचारी को बर्खास्तगी की बड़ी सजा दिए जाने से पहले उसे बचाव का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अनुशासनात्मक जाँच नियमों के अनुसार, न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। जाँच की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि आरोपित पक्ष के विरुद्ध यदि किसी दस्तावेज़ का सहारा लिया गया हो, तो उसकी प्रति उसे दी जाए और उसे साक्षियों से प्रति परीक्षण करने और अपने बचाव में अपने साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाए। यदि शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध निष्कर्ष ऐसे दस्तावेज़ पर अवलोकन करते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं जो उसे नहीं बताया गया हो या जिसकी प्रति जाँच के दौरान उसे नहीं दी गई हो। जब मांग की जाती है, तो यह प्राकृतिक न्याय के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जिससे जांच और परिणामी दंड का आदेश अवैध और शून्य हो जाएगा। ये सिद्धांत इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा सुस्थापित हैं।

11.आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य विरुद्ध ए. वेंकट रायडू प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9'..प्राकृतिक न्याय का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी साक्ष्य (दस्तावेज) का उपयोग किसी जाँच में किया जाना है, तो उस साक्ष्य (दस्तावेज) की प्रतियाँ उस पक्ष को दी जानी चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसी जाँच की जा रही है..."

12.इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध सरोज कुमार सिन्हा प्रकरण में विभागीय जाँच के संचालन पर अभिनिर्धारित किया है कि

27. उपरोक्त उप-नियम के अवलोकन से पता चलता है कि जब उत्तरवादी अभियोग-पत्र में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा था, तो जाँच अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह जाँच में उसकी उपस्थिति के लिए एक तिथि निर्धारित करे। केवल ऐसे प्रकरण में ही जब शासकीय कर्मचारी निर्धारित तिथि की सूचना के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहा हो, जाँच अधिकारी एकपक्षीय जाँच कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी जाँच अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियोग-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के साक्ष्य दर्ज करे। चूँकि शासकीय कर्मचारी अनुपस्थित है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से साक्षियों से प्रति परीक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिर भी, आरोपों को स्थापित करने के लिए, विभाग को जाँच अधिकारी के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा इसलिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है ताकि यह आरोप न लगे कि जाँच अधिकारी ने अभियोजक के साथ-साथ न्यायाधीश की भी भूमिका निभाई है।

28. अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में कार्यरत एक जाँच अधिकारी एक स्वतंत्र निर्णायक की स्थिति में होता है। उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। उसका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच करना है, अपराधी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी, यह देखने के लिए कि क्या अखंडित साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूँकि किसी मौखिक साक्ष्य की जाँच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेज़ साबित नहीं हुए हैं, और यह निष्कर्ष निकालने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता था कि उत्तरवादीगण के विरुद्ध आरोप साबित हो गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, विभागीय जाँच प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार की जानी थी। यह प्राकृतिक न्याय के नियमों की एक आधारभूत आवश्यकता है कि किसी कर्मचारी को किसी भी कार्यवाही में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उसे दण्डित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. जब किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच की जाती है, तो उसे आकस्मिक कार्यवाही नहीं माना जा सकता। जाँच कार्यवाही भी बंद दिमाग से नहीं की जा सकती। जाँच अधिकारी को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना आवश्यक है कि न्याय हो, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि न्याय हो रहा है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासकीय

कर्मचारी के साथ कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त/स्थगित सहित दंड भी दिया जा सकता है।

13. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता को हुआ पक्षपात स्पष्ट है क्योंकि उचित सामग्री के अभाव में, याचिकाकर्ता को अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपात किया गया है क्योंकि आरोप याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किए बिना ही सिद्ध पाए गए हैं। यह जाँच और रिपोर्ट दोनों में ही विकृतता का प्रकरण है। इस प्रकार, जाँच रिपोर्ट के आधार पर निष्कासन का आदेश अक्षम्य है। निष्कासन आदेश दिनांक 01.10.1991 (अनुलग्नक पी/26) और दिनांक 26.11.1992 (अनुलग्नक पी/28) और दिनांक 10.12.1992 (अनुलग्नक पी/29) के आदेश, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता की अपील सेवा से हटा दी गई थी, निरस्त किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता इस आदेश से प्राप्त सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

15. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - K. RADHIKA.